

सम्पादकीय

अलविदा जनरल

देश के पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और एकीकरण (थिएटराइजेशन) की भी प्रक्रिया शुरू करवाई। हालांकि ये दोनों कार्य आसान नहीं थे, इनमें कई सारी जटिलताएं थीं। इसलिए ये प्रक्रिया तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रही थी, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुरूप जनरल रावत एक-एक कर के सभी मुश्किलें दूर करने में लगे हुए थे। चीफ ॲफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल विपिन रावत की बुधवार को एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में हुई असामयिक मौत ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। उनकी अगुआई में सेना एक साथ दो सरहदों पर तनाव से उपजी अपाधारण चुनौतियों का बड़ी कुशलता से सामना कर रही थी। देश के पहले सीडीएस के रूप में उन्होंने भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और एकीकरण (थिएटराइजेशन) की भी प्रक्रिया शुरू करवाई। हालांकि ये दोनों कार्य आसान नहीं थे, इनमें कई सारी जटिलताएं थीं। इसलिए ये प्रक्रिया तेजी से नहीं आगे बढ़ पा रही थी, लेकिन अपनी प्रकृति के अनुरूप जनरल रावत एक-एक कर के सभी मुश्किलें दूर करने में लगे हुए थे।

उहोंने ठान रखा था कि बतौर सीडीएस कार्यकाल पूरा होने तक इन दोनों प्रक्रियाओं को एक मुकाम तक जरूर पहुँचा देंगे। जनरल रावत अप्रिय होने का जोखिम उठाकर भी कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। वह खुलकर अपनी बात रखने में यकीन रखते थे। इस वजह से उनके कुछ बयानों को लेकर जब-तब विवाद भी होते रहे। उदाहरण के लिए सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान दिए गए उनके बयान को न केवल अनावश्यक बल्कि उनके

दारान दिए गए उनके बयान का न कवल अनावश्यक बाल्क उनके कार्यक्षेत्र का उल्लंघन भी बताया गया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की लिंगिंग को सही ठहराने वाले उनके बयान से भी

जनरल विपिन रावतः हवाएं खुद तुम्हारा तराना गाएंगी

प्रमोद भार्गव



है। किंतु इस बयान के परिक्षय में ध्यान देने की जरूरत थी कि सेनाध्यक्ष को इन कठोर शब्दों को कहने के लिए कश्मीर में आतंकियों ने एक तरह से बाध्य किया था। घाटी में पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकियों के हाथों शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 2016 में सबसे ज्यादा थी। इन्हीं हालात से पीड़ित होकर जनरल रावत को दो टूक बयान देना पड़ा था।

रावत के इस बयान के बाद जब अलगवावादियों और पत्रबाजों पर शिकंजा किस तरह देखने में आया कि कश्मीर में आतंक की घटनाएं घटती चली गई। इस परिषेक्ष्य में रावत ऐसे विरले सेनानायक रहे हैं, जो धाटी में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी घटनाओं पर मुख्त प्रतिरोध जताते रहे। चीन की पूर्वोत्तर क्षेत्र डोकलाम में घुसपैठ को नियंत्रित करने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। इसी तरह पांच अगस्त 2019 को जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 और 35-ए को हटाने की संसद में कार्यवाही की गई थी तब भी धाटी में शांति कायम रखने में उनकी अहम भूमिका रही थी। इन्हीं कामयाबियों के चलते उन्हें जनवरी-2020 में सरकार ने सीडीएस की कमान सौंपी थी। 1999 में कारगिल युद्ध के बाद बनी समिति के सुझाव पर करीब 21 साल बाद यह फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया था। इसमें दो राय नहीं कि बिपिन रावत पाक प्रायोजित आतंकवाद, चीन की आक्रमकता और अफगानिस्तान के हालत से उपर्युक्त चुनौतियों का बेखोफ होकर सामना करने में लगे रहे। वे दो-दो सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम तक पहुंचा पाए। जनरल रावत के नेतृत्व में पहला लक्षित हमला म्यांमार में घुसकर किया गया और दूसरा पाकिस्तान के विरुद्ध पीओके एवं बालाकोट में किया गया। जिसके बाद पाक अधिकृत कश्मीर में युवाओं को आतंकवादी बनाने के प्रशिक्षण शिविर लगभग खत्म हो गए। इन हमलों के जरिए उन्होंने साहसिक और देश का सेन्यू गोरव बढ़ाने का काम किया। सीडीएस बिपिन रावत की शहादत के साथ ऐसा बहुआयामी प्रतिभा का धनी सैनिक देश से चला गया, जो सेना को 21वीं सदी में होने वाली लड़ाई के लिए सेना को सक्षम बनाने में लगा था। हाल ही में उन्होंने कोरोना ऑमिक्रॉन के बारे में कहा था कि यह वायरस जैविक युद्ध के लिए

तत्त्वमें काराना आमक्राने के बार में कहा था कि यह वायरस जावक युद्ध के लिए तैयार किया गया विषाणु भी हो सकता है, इसलिए इससे सामना करने के लिए सेनाएं तैयार रहें। इस शूरवीर को विनम्र नमन एवं श्रद्धांजलि।

इन्हें अचानक क्यों आने लगी मथुरा की याद?

चुनाव के ठोक पहल सप्तवास मध्यान के शूरभाजा का और से बयान आएं तो उनके राजनीतिक अर्थ निकले ही जाएंगे। अगर बयान आबादी के लिहाज से सबसे बड़े और राजनीति के हिसाब से सबसे अहम राज्य उत्तर प्रदेश से जुड़ा हो तो उसका विश्लेषण कुछ ज्यादा ही होगा। यहाँ प्रसंग उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के उस ट्वीट का है, जिसमें उन्होंने कहा था, हायअयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण का काम जारी है, मथुरा की तैयारी है। याद किया जा सकता है कि साल 2003 के राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों में बीजेपी ने एक नई परिपाठी डालन की कोशिश की थी। तब केंद्र में वाजपेयी का अगुआई वाली सरकार थी। उस वक्त बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार प्रमोट महाजन ने तीनों राज्यों के चुनावों के लिए ह्यांबी-एसपीड़ को मुद्दा बताया था। बीएसपी यानी बिजली, सड़क और पानी।

विकास पर जोरः साफ शब्दों में कहें तो बीजेपी ने 18 साल पहले

चुनावी राजनीति के लिए विकास के मुद्दे को पहले पायदान पर रखना शुरू किया था। साल 2014 और 2019 के संसदीय चुनावों में नरेंद्र मोदी ने भी विकास को सबसे ऊपर रखा था। हालांकि बीजेपी के अब तक के उभार में राम मंदिर आंदोलन की भी बड़ी भूमिका रही है। हर चुनाव में कमोबेश वह इस मुद्दे के इर्द-गिर्द रहती भी आई है। लेकिन हाल के कुछ चुनावों में बीजेपी ने प्रमुखता से सिर्फ विकास का मुद्दा उठाया है। हिंदुत्व और रामर्मांदिर से जुड़े मुद्दों को उसने उनके बाद ही रखा है। यही वजह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने जब मथुरा का मुद्दा उठाया तो उसके पीछे के अर्थ तलाशे जाने लगे। साल 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद से अब तक योगी आदित्यनाथ ने राजनीति की दुनिया में लंबी यात्रा जानार्हा रहा। यह वह बहुत प्रशंसनीय यात्रा नहीं है क्योंकि वह राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहते रहे हैं कि बहुसंख्यक वैचारिकी के उभार की वजह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति रही है। नैरेटिव केंद्रित राजनीति का भी हिंदुत्व दर्शन और विचार की बुनियाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक यात्रा विश्वहिंदू परिषद के दिग्गज अशोक सिंघल की छत्रछाया में शुरू हुई और आगे बढ़ी। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मौर्य इन तथ्यों को अच्छी तरह समझते होंगे। मंडल आयोग के बाद राजनीति जिस तरह पिछाड़ावाद की ओर उम्मुख हुई है, उसकी वजह से विभिन्न दलों में स्वाभाविक रूप से पिछड़े वर्गों से राजनीतिक नेतृत्व उभरा। कई दलों ने सायास तरीके से भी पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को उभारने की कोशिश की। अवस्थिति थी, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अयोध्या के रामजन्मभूमि मंदिर को अपवाद माना गया है। ऐसे में मौर्य के बयान पर स्वाभाविक ही सवाल उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शासन में जिम्मेदारी के पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा बयान कैसे दे सकता है।

वोट बैंक की मजबूरी: यह भी सच है कि रामर्मांदिर आंदोलन के उभार के दिनों से ही संघ परिवार अयोध्या के साथ ही काशी और मथुरा के भी मामलों का जिक्र करता रहा है। इसलिए यह मान लेना कि संघ विचार परिवार की राजनीति इससे इतर हो जाएगी, नादानी ही कही जाएगी। वैसे भी बीजेपी के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है, जो अक्सर हाँ उससे इन मुद्दों पर राय जानने की कोशिश करता है।

रहता है। पार्टी को इन मुद्दों के प्रति आग्रही अपने वोटरों के साथ भी जिस समझ तैयार करना चाहिए वह संभव नहीं हो सकती।

उमेश चतुर्वेदी

तय की है। धीरे-धीरे वह बीजेपी की राजनीति के केंद्र में आते जा रहे हैं हाल ही में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी आलाकमान ने उनके हाथों राजनीतिक प्रस्ताव पेश करवाकर एक तरह से उनकी अहमियत को ही स्थापित करने की कोशिश की है। इन सबके बावजूद एक सच यह भी है कि साल 2017 की उत्तर प्रदेश की जीत के एक संभंग केशव प्रसाद मौर्य भी रहे। उन दिनों पार्टी के बही अध्यक्ष थे। इस नाते मुख्यमंत्री पद पर उनकी निगाह भी रही ही होगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद की दौड़ में वह पिछड़ गए। बेशक उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था में उन्हें नंबर दो का पास हासिल हुआ है, लेकिन शायद उनकी उम्मीदें बरकरार हैं। कुछ राजनीतिवाजानकार मौजूदा दौर को हिंदुत्व का नवजागरण काल मानते हैं। केरल वे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कहते रहे हैं कि बहुसंख्यक वैचारिक्षण्य के उभार की बजह अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति रही है। नैरेटिव केंद्रित राजनीति का भी हिंदुत्व दर्शन और विचार की बुनियाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीतिक यात्रा विश्वहिंदू परिषद् के दिग्गज अशोक सिंघल की छत्रबाण्या में शुरू हुई और आगे बढ़ी। इसलिए यह मानने में कोई हर्ज नहीं है कि मौर्य इन तथ्यों के अच्छी तरह समझते होंगे। मंडल आयोग के बाद राजनीति जिस तरह पिछड़ावाद की ओर उन्मुख हुई है, उसकी बजह से विभिन्न दलों में स्वाभाविक रूप से पिछड़े वर्गों से राजनीतिक नेतृत्व उभरा। कई दलों ने सायास तरीके से भी पिछड़े वर्ग के नेतृत्व को उभारने की कोशिश की

किसानों की तर्ज पर मजदूरों का आंदोलन !

नरेंद्र नाथ

तहत कृषि कानून की तरह ही केंद्र सरकार ने बनाया था। इसके तहत पहले के 29 लेबर कानूनों को समेटकर और उसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन कर चार लेबर कोड में बदल दिया गया। श्रम संगठन इन चार में दो लेबर रिफर्म से तो सहमत हैं, लेकिन बाकी दो के प्रति उनकी बहुत सारी चिंताएं हैं। नए कानून के तहत मजदूरों के हड्डताल पर जाने को लेकर तमाम तरह की बांदिशें हैं। इसमें एक अहम बदलाव यह भी है कि कई तरह की फैक्ट्रियों को आवश्यक सेवा में डाल दिया गया, जिससे मजदूरों पर कंपनी के प्रबंधकों का अधिक नियंत्रण आ गया है। एक और बड़े बदलाव के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिन कंपनियों में 300 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें बंद करने के लिए सरकार से किसी तरह की पूर्व अनुमति नहीं लेनी होगी। पहले यह सीमा 100 कर्मचारियों तक थी। मजदूर संगठनों का कहना है कि इन दो कानूनों की आड़ में न सिर्फ उनके हितों को मारा जाएगा, बल्कि उनकी नौकरी भी हमेशा असुरक्षित रहेगी। दिलचस्प बात है कि आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ भी इस कानून का विरोध कर रहा है। इस संगठन ने भी सरकार से इस रिफर्म पर जल्दबाजी में आगे न बढ़ने का अनुरोध किया है। वर्ही मजदूर संगठनों ने संकेत दिया है कि वे आने वाले महीनों में अपना देशव्यापी आंदोलन बढ़ाएं। विपक्षी दल भी इहें समर्थन दे रहे हैं। ऐसे में अगर आम चुनाव नहीं चाहेगी। बीजेपी के सामने आंदोलन के कारण यूपीए को हुए नुकसान की मिसाल है तो 2004 में शहरी आबादी और मिडिल क्लास को नाराज करने का परिणाम भी वाजपेयी सरकार की हार के रूप में मौजूद है। तब अप्रत्याशित तरीके से एनडीए को शहरी सीटों पर हार झेलनी पड़ी थी। लेकिन सरकार को पता है कि 2024 का आम चुनाव अभी दूर है और आगे कोर्स करेक्षण के कई मौके मिलेंगे। 2019 में भी आम चुनाव से ठीक पहले किसान हों या मिडिल क्लास, सबकी ऐसी ही नाराजगी की बात सामने आई थी। लेकिन मोदी सरकार ने अपने पहले टर्म के अंतिम बजट में किसान सम्मान निधि का एलान करके और इनकम टैक्स की सीमा पांच लाख रुपये बढ़ाकर इन तबकों का व्यापक समर्थन हासिल किया था। इसके साथ ही मौका आने पर पीएम मोदी चौंकाने वाले फैसले लेने में माहिर हैं। राजनीति के माहिर पीएम मोदी को भी किसान-मजदूर गठबंधन के असर का अंदाजा होगा। इन सबके बीच कांग्रेस को उस तबके में सेंध लगने की उम्मीद दिख रही है जो कुछ सालों में उससे पूरी तरह दूर जा चुका है। कांग्रेस के एक सीनियर नेता ने कहा कि 2024 से पहले किसान और मजदूर का अपनी वाजिब मांगों पर साथ आना देश की राजनीति का एक अहम मोड़ होगा, जो बीजेपी के पतन का कारण बनेगा। लेकिन सबसे बड़ा मतलब है कि निम्न तमन्त्र अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का भी ज्ञान तो ये दैर्घ्यालय पिल्लवे में बढ़ाये लग जाएं। लेकिन विराजा के

से पहले किसान-मजदूर मिलकर आंदोलन का रास्ता पकड़ेंगे तो सरकार को दिक्कत हो सकती है। यही कारण है कि किसान आंदोलन से सीख लेते हुए सरकार समय रहते चीजों को ठीक करने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार लेवर रिफॉर्म पर भी अब सरकार आक्रामक रूप से आगे बढ़ने की हड्डबड़ी नहीं दिखाएगी। आंदोलनों के सियासत पर पड़ने वाले असर को अगर देखें तो यूपीए सरकार की जड़ें हिलाने का काम करपाण के बनगा। लाकन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह अन्ना आंदोलन का बीजेपी ने लाभ उठाया और नरेंद्र मोदी नए नेतृत्व के रूप में उभरे, क्या विपक्ष के पास ऐसी कोई रणनीति होगी? अभी जिस तरह से विपक्षी एकता बेपत्री है और कांग्रेस खुद अंदरूनी राजनीति से घिरी है, ऐसा कुछ करना उसके लिए आसान नहीं लगता। फिर भी, बीजेपी के सामने चिंता की एक लकीर तो खिंच ही रही है।

दहेज मांगने पर गिरफ्तारी

हरियाणा की एक युवती ने दहेज के विरुद्ध ऐसा जबर्दस्त कदम उठाया है कि उसका अनुकरण पूरे भारत में होना चाहिए। भारत सरकार ने दहेज निषेध कानून बना रखा है लेकिन भारत में इसका पालन इसके उल्लंघन से ही होता है। बहुत कम विवाह देश में ऐसे होते हैं, जिनमें

दहेज का लेन-देन न होता है। जहां स्वेच्छा से दहेज दिया जाता है, वहां भी लड़कीवालों पर तरह-तरह के मानसिक, सामाजिक और जातीय दबाव होते हैं। कई बार फेरों के पहले ही विवाह टूट जाता है, आई हुई

बारत खाली लौट जाता है और विवाह-स्थल पर ही घरातियों व बारातियों में दंगल हो जाता है। शादी के बाद तो बहुओं को जिंदगी भर तंग किया जाता है। उनके मां-बाप को कोसा जाता है और बहुएं तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। दहेज मांगने वालों को 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान कानून में है लेकिन भारत में कानून की हालत खुद बड़ी खस्ता है। पहली बात तो यही कि लड़कीवालों की हिम्मत ही नहीं होती कि वे कानून का सहारा लें। यदि वे अदालत में जाएं तो पहले उनके पास वकीलों की फीस भरने के लिए पैसे होने चाहिए और दूसरा खतरा उनकी बेटी को सुसुराल से धकियाएं जाने का होता है। अदालत में कोई चला भी जागा तो उसे दंगाल मिलने में लगभग लग जाते हैं। लेकिन दंगाल के

भा जाए ता उस इसाफ ममलन म बरसा लग जात ह। लाकन हारणा क आकोदा गांव की एक युवती ने अत्यंत साहसिक कदम उठाकर दहेज के इस अधर्मे कानून में जान फूँक दी है। इस लड़की की शादी 22 नवंबर को होनी थी। दूल्हे ने दहेज में 14 लाख रु. की कार मांगी। कार नहीं मिलने पर वह 22 नवंबर को बारात लेकर आकोदा नहीं पहुंचा। लड़की ने उस भावी पति के खिलाफ पुलिस में रपट लिखवाई और दंड सहिता की धारा 498 के तहत उसे गिरफ्तार करवा दिया। मझे खबरी तब होती

का धारा 498ए के तहत उस परिवार करवा दिया। मुझ खुशा तब हात, जबकि उसके परिवार के कुछ बुजुर्ग सदस्यों को भी जेल की हवा खिलावाई जाती, क्योंकि उनकी सहमति के बिना दहेज में कार की मांग क्यों होती? अब उस बहादुर लड़की के लिए रिश्तों की भरमार हो गई है। इससे पता चलता है कि भारत में आदर्श आचरण करनेवालों की कमी नहीं है। असली दिक्कत तो लालच ही है। लालच में फंसे होने के कारण ही हमारे नेता और अफसोस रिश्वत खाते हैं, डॉक्टर और वकील ठगी करते हैं, व्यापारी मिलावट करते हैं और किसी का कुछ बस नहीं चलता है तो लोग दहेज के बहाने अपने बेटे-बेटियों का भी सौदा कर डालते हैं। कई लोग अपनी सुंदर, सुशिक्षित और सुशील बेटियों को अयोग्य पैसे वालों के यहां अटका देते हैं। वे जीवन भर अपने भाग्य को कोसती रहती हैं। इस बीमारी का इलाज सिर्फ कानून से नहीं हो सकता है। इसके लिए भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन की सख्त जरूरत है। मैंने लगभग 60 साल पहले इंदौर में ऐसा आंदोलन शुरू किया था। जिन सैकड़ों लड़कों ने मेरे साथ दहेज नहीं लेने की प्रतिज्ञा की थी, उनकी दूसरी-तीसरी पांडी भी आज तक उस संकल्प को निभा रही हैं। यदि भारत के साधु-संत, मौलाना, पंडित-पादरी लोग यह बीड़ा उठा लें और आर्थिसमाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सर्वोदय मंडल, साधु समाज, इमाम संघ, शिरोमणि सभा आदि संगठन इस मुद्दे को अपने हाथ में ले लें तो दहेज की समस्या पर काब पा लेना कठिन नहीं होगा।

३० अक्टूबर २०१५

झकझोर कर रख दिया और आपस्पा निरस्त करने की मांग फिर से तेज हो गई। केंद्र में सत्तारूढ़ दल की सहयोगी पार्टियों से जुड़े दो मुख्यमंत्रियों ने भी आपस्पा निरस्त करने की मांग की है। इसके चलते नगालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव रुक गया, इंटरनेट बंद करके लॉकडाउन लगा दिया गया। इलाके भर में काले झाड़े लहराए गए और भारतीय सेना वापस जाओ के नामे वाले पोस्टर लगाए गए।

यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से नागरिकों को मारा गया हो। 1958 से इधर बड़े पैमाने पर हत्याएं हो रही हैं। हममें से बहुतों के घर उन जगहों के आसपास हैं जहां पर ऐसे कांड हुए। मसलन, इम्फाल में हीरांगोद्धोण कांड जहां हुआ था, मैं उसी इलाके में पली-बढ़ी हूं। वहां 1984 में वॉलीबॉल मैच देख रहे 14 नागरिकों को सीआरपीएफ ने गोली पांप दी थी। ऐसी असाधनताओं में उल्लेखनीय है पर्सिपां का मान्देपा और दुकानों का खान करने का नाम सरस्त्र बलों के खिलाफ नहीं है और न ही यह कोई राष्ट्र-विरोधी कार्य है। सशस्त्र बल निहत्ये नागरिकों को मारने के लिए नहीं है। वे सीमा सुरक्षा के लिए हैं। आप्स्या को निरस्त करने की मांग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत से लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सच्चे रहने को कहने का साहस है। अगर कोई विधानसभा हांशांत क्षेत्र अधिनियम के टैग को वापस ले ले तो ऐसा असाधन हो जाएगा।

